IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3

आफिस काम्पलेक्स (तृतीय तल)

9ए, वृंदावन योजना संख्या–2, भाग–2, लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

पत्र सं0– 1432/9D/GH-01/2016 दिनांक– 26/9/2016

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र

वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर–9डी में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–9डी/जी0एच0–01 में मैसर्स ओमनी फार्म्स प्रा0लि0, द्वितीय तल एल्डिको कार्पोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा निर्मित टावर्स (टी–3, टी–4 एवं टी–8) के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र अ, ब, स का परीक्षण अवर अभियन्ता–श्री रविन्द्र नाथ तथा सहायक अभियन्ता–श्री उदयवीर सिंह द्वारा कर लिया गया है। वास्तुविद नियोजक इकाई–पंचम के पत्रांक 2797/नि0प्रा0–कम्पलीशन मान0/2016/वा0नि0–5 दिनांक 21.09.2016 द्वारा सूचित उच्च स्तरीय कमेटी की स्वीकृति दिनांक 05.08.2016 के क्रम में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–9डी/जी0एच0–01 में निर्मित टावर्स टी–3, टी–4 एवं टी–8 का पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है–

प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत भूखण्ड के प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष शमनित मानचित्र वास्तुविद नियोजक इकाई–5 के पत्रांक 994/नि0प्रा0–97/वा0नि0–5 दिनांक 18.04.2016 द्वारा निर्गत किया गया था, जिसके उपरान्त भविष्य में किसी प्रकार का विचलन उक्त टावर्स में शमनीय नहीं होगा।
2. वर्तमान में प्रश्नगत भूखण्ड के प्रस्तावित निर्माण टावर्स (टी–3, टी–4 व टी–8) के सापेक्ष निम्नांकित क्षेत्रफल हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धी मानचित्र उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 को अनुमोदित है।

क्रमांक	टावर का नाम	क्षेत्रफल का विवरण
01.	टावर टी–3	9089.71 वर्गमी0
02.	टावर टी–4	9089.71 वर्गमी0
03.	टावर टी–8	8322.79 वर्गमी0

3. सत्यापन आख्या व शमन उपविधि–2009 के आधार पर किये गये परीक्षणोपरान्त प्रदत्त अनुमोदन के उपरान्त भूखण्ड पर किसी प्रकार की अनियमितता अशमनीय होगी।
4. उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड पर किसी भी भाग/क्षेत्र का सब डिवीजन अनुमन्य नहीं किया जायेगा एवं ऐसा पाये जाने पर परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र संख्या–1615/एफ0एस0–11 दिनांक 11.05.2015 के द्वारा निर्गत कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान का क्रियान्वयन भविष्य में यथावत सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से निर्गत एन0ओ0सी0 की शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जाना अरिवार्य है।
8. आवंटन की शर्तों का अनुपालन, क्रियान्वयन, निर्माण/विकास एवं अनुरक्षण कार्यों में सुनिश्चित किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन आवंटी/सम्बन्धित सम्पत्ति के स्वामी द्वारा करना होगा।
9. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख–रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि व्यवसायिक भवन में हो रहे क्रियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियान्वयन को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा परिषद के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
11. शेष शर्तें पूर्व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार रहेंगी जिनका अनुपालन/क्रियान्वयन प्रत्येक दशा में किया जाना होगा।

(क्रमशः–2)

12. निर्मित भवनों का रेजीडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशन/नगर निगम को हस्तान्तरित करने तथा इसका रख–रखाव आदि एवं पक्ष/निवासियों की शिकायत या त्रुटियों पर विकासकर्ता या रेजीडेन्टकर्ता द्वारा स्वतः निस्तारण करना होगा, जिसमें परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

संलग्नकः–1. अनुमोदित मानचित्रों का एक सेट

2. प्रपत्र अ, ब, स

(डी0 के0 श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.अधीक्षण अभियन्ता–वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2.वास्तुविद नियोजक इकाई–पंचम, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3.उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
4.डायरेक्टर मैसर्स ओमनी फार्म्स प्रा0लि0, द्वितीय तल, एल्डिको कार्पोरेट, चेम्बर–1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5.सहायक अभियन्ता–प्रथम/अवर अभियन्ता–श्री रविन्द्र नाथ, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता